जिला कैंसर केयर एवं उपचार हेतु कार्य संबंधी मार्गदर्शिका

1. भूमिकाः-

कैंसर आजकल बहुत ही चुनौतिपूर्ण जन स्वास्थ्य की समस्या भारत वर्ष एवं म0प्र0 में बढती जा रही है। कैंसर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण मुददा है। 14.5 लाख नए कैंसर मरीज वर्ष 2016-17 में संभावित थे और यह आकड़ा 17.3 लाख वर्ष 2020 तक पहुंचने की संभावना है। केवल 12.5 प्रतिशत मरीज ही इलाज के लिए प्राथमिक चरण में पंहुच पाते है।

यह सर्वविदित है कि कैंसर की बीमारी लगातार बढ रही है परन्तु इसके इलाज की सुविधा म0प्र0 में काफी कम है। कैंसर से मृत्यु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति में ज्यादा है। अभी तक कैंसर के इलाज की सुविधाए चिकित्सा महाविधालय एवं शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध है इस सुविधा हेतु ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध नही होने की वजह से कैंसर के कारण मृत्यु का प्रतिशत ज्यादा है।

हमारे चुनिंदा कैंसर केयर सेंटर में कैंसर मरीजो की भीड़ अत्यधिक रहती है एवं उनके अनुपात में कैंसर रोग विशेषज्ञों की संख्यॉ कम है जिसकी वजह से गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। कैंसर का इलाज एवं (रोग निदान) काफी खर्चीला एवं लम्बा है जिसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग एवं दूरस्थ अंचलो में रहने वाले लोग अपना इलाज पूर्ण नही कर पाते।

अज्ञानता, भय एवं कैंसर के संबंध में गलत अवधारणाए आम नागरिको एवं यहॉ तक की हमार स्वास्थ्य कर्मियों में बनी हुई है।

यह कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य कैंसर मरीजो को सेवा देने वाले लोगो के ज्ञान एवं कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु है।

नए कैंसर सेंटर शहरी क्षेत्र में खोलने से इस समस्या का समाधान ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलो के लोगो के लिए महत्वपूर्ण नही है। इस सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए म0प्र0 सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला कैंसर केयर सेंटर जिला अस्पताल में ही स्थापित किया जाए जहॉ कि कैंसर से संबधित सेवाए एक प्रशिक्षित चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स द्वारा दी जावे।

2. लक्ष्य

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कैंसर मरीजो को मार्गदर्शन, परामर्श, बीमारी के रोग निदान में सहायता, सही समय पर सही जगह रेफर करना, राज्य बीमारी सहायता निधि से उनके इलाज हेतु सही जगह भेजना एवं सहायता राशि उपलब्ध कराना, फालोअप, कीमोथैरेपि देना, पेलेटिव केयर देना, इलाज के पश्चात् मरीज की देखभाल करना, यह सभी कार्य कैंसर मे प्रशिक्षित चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स द्वारा किया जाना मुख्य लक्ष्य है।

3. कार्यक्रम को लागू करने की रूपरेखा

क. प्रत्येक जिलो में एक चिकित्सक जिला कैंसर नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना एवं दो स्टाफ नर्स इन सेवाओ के लिए अलग से सुनिश्चित किया जाना।

ख. 2ं-4 बिस्तरो वाला एक कैंसर केयर यूनिट हर जिला अस्पताल में चिन्हित किया जावे। बिस्तरो की संख्यॉ आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाई जा सके।

ग. चिकित्सकों को डॉ0 दिनेश पेंडारकर मेंटोर म0प्र0 कैंसर प्रोगाम के तहत 03 सप्ताह का प्रशिक्षण एशियन इन्स्टीटयूट आफ आन्कोलाजी मुम्बई में दिलाया जावे इसके साथ ही 01 सप्ताह का हैण्डस ऑन प्रशिक्षण जिला अस्पताल उज्जैन में डॉ0 सी.एम. त्रिपाठी स्टेट कैंसर नोडल आफिसर के तहत पूरा करा जावे। नर्सिंग स्टॉफ का 15 दिवसीय प्रशिक्षण जिला अस्पताल उज्जैन में रखा जावे।

घ. यह प्रशिक्षित दल प्रतिदिन कैंसर मरीजो को परामर्श देवे एवं शंकास्पद कैंसर मरीजो को उसमें से चिन्हित कर इन मरीजो को वचुअर्ल कीमो बोर्ड पर वाटसएप अथवा स्काइप पर मेंटोर डॉ0 दिनेश पेंडारकर से आगे की सलाह लेवे साथ ही उक्त मरीजो को समीपस्थ शासकीय चिकित्सा महाविधालय की कैंसर यूनिट में भेजे।

ड़. यदि मरीज चिकित्सा महाविधालयमें जाने हेतु अनिच्छा दर्शाता है या नही जा सकता हो और यदि उसे कीमोथैरेपि की आवश्यकता है तो उक्त मरीज हेतु वचुअर्ल कीमो बोर्ड पर मेंटोर डॉ0 दिनेश पेंडारकर से अभिमत लेकर कीमोथैरेपि दे।

च. कीमोथैरेपि से संबधित दवाईयॉ एवं लाजिस्टिक का वितरण प्रचलित सरकारी प्रक्रिया अनुसार ही रहे। जिला अस्पताल में कैंसर से संबधित दवाईयों के भण्डारण हेतु आवश्यक सुविधा अलग से कराई जाए

छ. जिला अस्पताल में कैंसर परीक्षण शिविर डॉ0 दिनेश पेंडारकर के मार्गदर्शन में त्रैमासिक रूप से लगाया जाए एवं संबधित प्रशिक्षित चिकित्सक एवं कैंसर मेंटोर चिकित्सक लगातार सम्पर्क में रहे।

झ. टेली मेडीसिन के द्वारा भी बीच-बीच में प्रशिक्षण दिया जा सके।

ज. जिला कैंसर नोडल आफिसर जिला स्तर पर कैंसर केयर सेंटर को देखेगा एवंसमय-समय पर स्टेट कैंसर नोडल आफिसर एवं मेंटोर कैंसर प्रोग्राम उसका निरीक्षण करते रहेंगे।

त. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि, जिला कैंसर केयर सेंटर पर यह प्रोग्राम सुचारू रूप से क्रियान्वित हो।

थ. मरीजो की फाइल एवं बीमारी से संबधित दस्तावेज संबधित अस्पताल में रखा जावे।

द. मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कैंसर नोडल आफिसर से स्टेट कैंसर नोडल आफिसर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजे।

ध. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी जिले में जितनी भी स्थापित है उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी दी जावे एवं उनके स्तर पर कैंसर से संबधित मरीज सम्पर्क में आने पर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए साथ ही प्राथमिक उपचार भी दिया जावे।

न. बच्चो के कैंसर के मरीजो का जिला अस्पताल में इलाज न किया जावे इन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सा महाविधालय में भेजा जावे।

प. प्रत्येक जिला अस्पताल में कीमोथैरेपि से होने वाले दुष्परिणाम एवं जटिलता के इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे साथ ही कैंसर मरीजो के जॉच की सुविधा भी जिला अस्पताल में प्रचलित सुविधा अनुसार उपलब्ध करायी जावे।

फ. कीमोथैरेपि की दवाईयॉ म्क्स् सूची अनुसार जिला अस्पताल में होनी चाहिए।

भ. कीमोथैरेपि मुख्यतः डे-केयर के रूप मे की जावे यदि आवश्यकता हो तो भर्ती के वार्ड मे ही दी जावे।

म. जिला अस्पताल में कैंसर केयर विभाग को जगह-जगह दीवारो पर दिशा सूचक पोस्टर बनाकर दर्शाया जाए।

य. कैंसर कीमोथैरेपि की दवाईयो की सूची समय-समय पर अघतन की जावे एवं आवश्यकता के हिसाब से दवाईयॉ उपलब्ध करायी जाए।

4. प्रशिक्षण कार्ययोजना

क. जिला अस्पताल से एक चिकित्सक प्रशिक्षण हेतु एशियन कैंसर इन्स्टीटयूट मुम्बई में डॉ0 दिनेश पेंडारकर की मेंटरशिप एवं निर्देशन में 03 सप्ताह हेतु भेजा जावे साथ ही 01 सप्ताह का हैण्डस ऑन प्रशिक्षण हेतु जिला अस्पताल उज्जैन में स्टेट नोडल आफिसर डॉ0 सी.एम. त्रिपाठी के अधीनस्थ भेजा जावे। 02 नर्सिंग स्टॉफ के प्रशिक्षण हेतु 15 दिवस जिला अस्पताल उज्जैन स्टेट कैंसर नोडल आफिसर डॉ0 सी.एम. त्रिपाठी के अधीन करायी जाए।

ख. रेडियोलाजिस्ट, सर्जन, गायनेकोलाजिस्ट, पैथोलाजिस्ट, डेंटिस्ट आदि को कैंसर के क्षेत्र में रि-ओरिएन्टेशन कार्य कुशलता मे बढ़ाने हेतु आवश्यकता के हिसाब से मेडीकल कॉलेज मे इसका प्रशिक्षण दिया जावे।

ग. चिकित्सक इसके अलावां वाटसएप, कम्युनिकेशन, ईएमआर साफ्टवेयर आदि टैक्नालिजी से भी दिन प्रतिदिन कैंसर एवं मरीज से संबधित जानकारी रखी जा सकती है।

घ. सभी मरीजो के बारे में टयूमर बोर्ड एवं दूरभाष पर भी आवश्यकता के हिसाब से चर्चा की जावे।

ड. प्रशिक्षित चिकित्सक को कैंसर से संबधित सी.एम.ई. में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

5. कैंसर शिविर एवं परीक्षण हेतु मार्गदर्शिका

क. प्रत्येक जिले में 03 माह में एक बार मेंटोर केयर डॉ0 दिनेश पेंडारकर के मार्गदर्शन में कैंसर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाए।

ख. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिविर से संबधित आई.ई.सी. गतिविधियॉ सुनिश्चित करेंगे।

ग. जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधीश, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग आदि को भी समय पूर्व सूचित किया जाए एवं शिविर का लाभ लेने हेतु संबधित को जानकारी देने हेतु लिखा जाए।

घ. जिला कैंसर दल सभी पंजीकृत मरीज को एवं नए शंकास्पद मरीजो को शिविर की दिनांक को शिविर में आने हेतु अवगत करे, उन्हें उचित परामर्श देवे।

ड. हर मरीज की एक पृथक-पृथक फाइल बनाई जाए।

च. एक कैंसर शिविर रजिस्टर बनाया जाए जिसमे मरीज द्वारा अस्पताल में आई हुई तारीखो में जरूरी जानकारी दर्ज की जाए।

छ. सभी मरीज जिन्हें चिकित्सा महाविधालय में भेजा गया उन्हे वहॉ भी प्राथमिकता दी जाए।

ज. चिकित्सा महाविधालय सभी जिला अस्पतालो के उनके यहॉ संबधित जिलो के मरीजो की सूची दूरभाष/मोबाइल नम्बर सहित संबधित जिलो को उपलब्ध कराए।

झ. शिविर रिपोर्ट स्टेट कैंसर विभाग को निर्धारित प्रपत्र में दी जावे। (परिशिष्ट-2)

6. कैंसर केयर प्रशिक्षित चिकित्सक की भूमिका

क. यह चिकित्सक कैंसर मरीजो का परीक्षण करेगा, मार्गदर्शन देगा एवं आगे के इलाज हेतु समय से चिकित्सा महाविधालय अथवा कैंसर अस्पताल भेजेगा।

ख. कैंसर मरीजो को फालोअप कर कीमोथैरेपि प्रदाय करेगा।

ग. कीमोथैरेपि पश्चात् उस मरीज की देखरेख करेगा।

घ. कैंसर के संबंधमें जन-जागरूकता लाने हेतु कार्य करेगा।

ड. पेलेटिव एवं सपोर्टीव केयर प्रदाय करेगा।

च. कैंसर से संबधित अघतन जानकरी हेतु उपरोक्त प्रयास करेगा एवं अपने मेंटोर से सम्पर्क में रहेगा।

छ. कैंसर मरीजो को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले लाभो को उन तक पहुंचाने में मदद करेगा।

7. प्रशिक्षण कैंसर केयर स्टॉफ नर्स की भूमिका

क. कैंसर केयर स्टॉफ नर्स प्रशिक्षित चिकित्सक को बाहय एवं आंतरिक रोग विभाग एवं कैंसर केयर शिविर में मदद करेगी।

ख. यह कैंसर प्रोटोकाल रैजिंम के अनुसार प्रस्तावित कैंसर दवाईयॉ कैंसर मरीज को लगाएगी।

ग. यह कैंसर मरीज को होने वाले विपिरित प्रभाव एवं जटिलता के इलाज में मदद करेगी।

घ. यह पेलेटिव केयर में मदद करेगी।

ड. यह डाटा रिकार्ड एवं कैंसर मरीज की फाइल बनाने में मदद करेगी।

8. स्टेट कैंसर नोडल अधिकारी की भूमिका

क. स्टेट कैंसर नोडल अधिकारी अपने नियमित दायित्वों के साथ राज्य के सभी जिलों के कैंसर नोडल अधिकारी एवं मेंटोर कैंसर केयर प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करेगे।

ख. राज्य में विभिन्न जिलो में कैंसर शिविर आयोजित कर उनको सम्पादित करेंगे एवं शिविर में उपस्थित रहकर सभी सुविधाओ के मार्गर्शन एवं कार्य को सुचारू रूप से प्रतिपादित करेंगे।

ग. सभी जिलो में कैंसर से संबधित जानकरी अघतन कराएंगे।

घ. सभी जिलों में दवाईयों की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार एवं जिला स्तर पर सामान्जस्य बनाकर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगे।

ड. हैण्डस ऑन प्रशिक्षण चिकित्सक हेतु 01 सप्ताह, स्टॉफ नर्स हेतु 02 सप्ताह का आयोजन समय-समय पर करेगे।

च. सीएमई हेतु मेंटोर एवं राज्य स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्य योजना तैयार करेगे।

छ. एनपीसीडीसीएस अधिकारी से जरूरी प्रशासनिक आदेश प्रसारित कराएंगे

ज. पूरे कार्यक्रम के संचालन में राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी को उचित तकनीकी सलाह देगे।

9. एनसीडी सेल राज्य स्तर एवं जिले की भूमिका

क. जिला एनसीडी सेल कैंसर शिविर आयोजन में मदद करेगा एवं सभी आईईसी गतिविधियॉ संचालित करेगा।

ख. एनसीडी सेल का डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर कैंसर मरीजो का डाटा फाइल दिन-प्रतिदिन संधरित करेगा।

ग. राज्य एनसीडी सेल जरूरी निर्देश/आदेश कार्यक्रम को चलाने हेतु प्रसारित करेगा।

घ. आईईसी गतिविधियॉ भी संचालित करेगा।

10 संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन की भूमिका

क. कैंसर केयर की प्रतिदिन बाहय रोग विभाग हेतु जगह निर्धारित करना 2-4 बिस्तर का डे-केयर सेंटर अस्पताल में सुनिश्चित करना साथ ही जरूरी दवाईयॉ एवं लाजिस्टिक की व्यवस्था करना।

ख. अन्य चिकित्सक एवं पैरामेडीकल स्टॉफ के साथ तालमेल बिठाना।

ग. मौजूदा एनसीडी विभाग के साथ कैंसर केयर प्रोग्राम में तालमेल बिठाना।

घ. कैंसर केयर प्रोग्राम की आईईसी गतिविधियॉ संचालित करना।

ड. कैंसर केयर प्रोग्राम की नियमित देखरेख एवं परीक्षण करना।

11. प्रचार-प्रसार

क. यह कार्य जिला स्तर पर आईईसी शाखा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देखेगी।

ख. कैंसर केयर सुविधाओ का जिला स्तर पर उपलब्धता की जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करना।

ग. जिला स्तर पर कैंसर केयर विभाग हेतु दिशा सूचक पट्टीका सभी जगह लगाना।

घ. कैंसर केयर प्रोग्राम का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सब सेंटर, आगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता तक प्रचार-प्रसार करना।

ड. यह एक राज्य स्तरीय प्रयत्न है।

च. स्वास्थ्य सेवाओ के सभी स्टॉफ को विभिन्न बैठको में कैंसर केयर प्रोग्राम हेतु जानकारी देना साथ ही कैंसर की पहचान हेतु सामान्य लक्षणों के बारे में सभी को अवगत कराना।

12. निगरानी एवं मूल्यांकन

क. मरीज का डॉटा डिजिटलाइज्ड हो जाए एवं ट्रैरकिंग के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

ख. मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र मे होना चाहिए।

ग. रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पहुंचना चाहिए। (परिशिष्ट-3)

घ. एक कोर ग्रुप अथवा उच्चस्तरीय निगरानी कमेटी प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में बनाई जानी चाहिए जो कि त्रैमासिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करे।

ड. समिति में विभागीय प्रबंध संचालक एन.एच.एम, आयुक्त (स्वास्थ्य), संचालक एनपीसीडीसीएस, उपसचांलक एनपीसीडीसीएस, मेंटोर कैंसर केयर प्रोग्राम, स्टेट कैंसर नोडल आफिसर उसके सदस्य रहे।

च. जिलाधीश महोदय जिला स्वास्थ्य समिति, जिला स्तर पर कार्यक्रम का मूल्यांकन करे।

छ. मरीज एवं मरीजो के परिवार के सदस्यों का संतुष्टि पत्रक भी लिया जाए।

ज. संभागीय संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविज सर्जन संबधित जिलो के कार्यक्रम को सही रूप से क्रियान्वयन में हेतु उचित मार्गदर्शन सहयोग एवं मूल्यांकन करेंगे।

13. परिणाम

क. जिला ंस्तर पर कैंसर केयर सेंटर चालू होने से ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचल में रहने वाले कैंसर के मरीजो को कैंसर संबधित मार्गदर्शन, सहायता, इलाज, रोग निदान, कीमोथैरेपि, पेलेटिव केयर आदि सही समय पर सही जगह प्रशिक्षित कैंसर केयर दल द्वारा ये समस्त सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

ख. मरीज एवं परिवार का इलाज हेतु खर्च प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम हो जाएगा।

ग. सही समय पर मरीज को चिकित्सा महाविधालयो में उचित इलाज हेतु भेजा जा सकेगा।

घ. इन प्रयत्नों से कैंसर से होने वाली मृत्यु की संख्याॅ एवं मृत्यु दर कम हो जाएगी एवं जीवन दर बढेगा।

ड. चिकित्सा महाविधालय एवं कैंसर अस्पतालो का मरीजो का अत्यधिक बोझ कम होगा।

च. कैंसर मरीज अपना इलाज सुगमता से पूर्ण करेंगे।

छ. मरीज एवं मरीज के परिवार का संतुष्टिकरण बढेगा।

14. उज्जैन कैंसर केयर सेंटर हेतु कार्य योजना।

क. उज्जैन कैंसर केयर सेंटर को राज्य कैंसर केयर एवं पेलेटिव केयर प्रशिक्षण सेंटर हेतु विकसित करना।

ख. हैण्डस ऑन प्रशिक्षण कैंसर केयर हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण चिकित्सक हेतु एवं 15 दिवसीय प्रशिक्षण स्टॉफ नर्स हेतु।

ग. 20 बिस्तरीय कीमोथैरेपि वार्ड, 10 बिस्तरीय पेलेटिव केयर वार्ड स्थापित करना।

घ. कीमोथैरेपि हेतु 06 स्टॉफ नर्स एवं पेलेटिव केयर हेतु 06 स्टॉफ नर्स का पद निर्मित करना।

ड. 24 घण्टे चिकित्सकीय कार्य हेतु 04 चिकित्सक के पद निर्मित करना।

च. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद निर्मित करना।

छ. कैंसर केयर अस्पताल एवं प्रशक्षिण सेंटर को क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के अधीनस्थ करना।

ज. पुराने ऑपरेशन थियेटर को अघतन कर उसमें कैंसर सर्जरी हेतु समय-समय पर कैंसर सर्जन के द्वारा शिविर आयोजित किया जाए।

15. उज्जैन एवं म0प्र0 राज्य पेलेटिव केयर हेतु मार्गदर्शिका

उज्जैन पेलेटिव एवं हास्पिस केयर सेंटर

क. उज्जैन जिला अस्पताल में 20 बिस्तरीय पेलेटिव एवं हास्पिस केयर सेंटर स्थापित किया जाए।

ख. इस हेतु चिकित्सक, स्टॉफ नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद निर्मित किये जाए।

ग. प्रथम चरण में 01 चिकित्सक एवं 04 स्टॉफ नर्स को विनयतारा फाउण्डेशन यू.एस.ए. के द्वारा प्रशिक्षण इस हेतु दिलाया जाए। (सम्पादित एम.ओ.यू. अनुसार)

घ. पेलेटिव केयर एवं हास्पिस के प्रशिक्षण हेतु द्वितीय चरण में विनयतारा फाउण्डेशन के प्रशिक्षित चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स द्वारा उज्जैन में 01 माह का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, जिसमें प्रत्येक संभाग से 02 स्टॉफ नर्स को प्रशिक्षिण किया जाए।

ड. तृतीय चरण में म0प्र0 के प्रत्येक जिले से 01 चिकित्सक एवं 02 स्टॉफ नर्स को इस हेतु प्रशिक्षित किया जाए। चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स हेतु प्रशिक्षण 15 दिवस रखा जाए।

च. यह प्रशिक्षण उज्जैन जिला अस्पताल पेलेटिव केयर सेंटर में मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाए। पेलेटिव केयर हेतु समस्त संसाधन एवं दवाईयॉ प्रचलित प्रक्रिया अनुसार उपलब्ध करायी जाए।

छ. प्रत्येक जिला अस्पताल में 04 बिस्तर पेलेटिव केयर हेतु आरक्षित किया जाए।

ज. पेलेटिव केयर के प्रशिक्षण पश्चात् चिकित्सक को पेन ट्रीटमेंट हेतु मारफीन को लिखने हेतु अधिकृत किया जाए।

झ. पेन मेडीसिन मारफीन के पूर्ण दस्तावेज रखे जाए एवं नियमानुसार मारफीन का उपयोग किया जाए।

त. पेलेटिव केयर के बिस्तरो का उपयोग पूर्ण कालिक भर्ती हेतु न किया जाकर गंभीर मरीजो के इलाज हेतु किया जाए।

थ. उज्जैन पेलेटिव केयर विभाग क्षेत्रीय संभागीय संचालक के अधीन किया जाए।